L 14845/1

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UP03477712079631P
Certificate Issued Date	: 28-Jul-2017 12:44 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL01041713895808 57P
Purchased by	: SYMTECH DEVELOPERS
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: PLOT NO.12-A/C.P-9, AREA-866.83 SQMTR. AT VRINDAVAN YOJNA NO.3, RAE BARELI ROAD, LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
Second Party	: SYMTECH DEVELOPERS
Stamp Duty Paid By	: SYMTECH DEVELOPERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 3332,000 (Three Lakh Thirty Two Thousand only)

MV

LOCKED SROI

Please write or type below this line

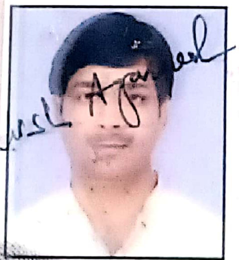

क्रेता

विक्रेता

UP 0001843258

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com'. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 23 माह 09 वर्ष 2017 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और **मैसर्स सिमटेक डेवलपर्स निवासी–5/6ए, लीला मेन्शन नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ पार्टनर श्री सुमित बंसल पुत्र स्व0 श्री विजय प्रकाश बंसल पता–एम0जी0–21, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल पता–बी–45ए, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ, श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल पता–बी–45ए, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ** जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी,विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :–

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या–3 नामक मुहल्ले के सेक्टर– **12-A** में स्थित **व्यवसायिक भूखण्ड संख्या– 12-A/CP-09** का व्यय है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० **1,90,96,265.00 (रू० एक करोड़ नब्बे लाख छियान्नबे हजार दो सौ पैसठ मात्र)** जिसका आधा रू० **95,48,132.50(रू० पच्चान्नबे लाख अड़तालीस एक सौ बत्तीस एवं पैसे पचास मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति **(संख्या–12-A/CP-09)** को,जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है। अतएव अब रू० **1,90,96,265.00 (रू० एक करोड़ नब्बे लाख छियान्नबे हजार दो सौ पैसठ मात्र)** की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद् द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना **(सम्पत्ति सं० 12-A/CP-09)** जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है।

केता

विक्रेता

कमशः 2 पर

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया जाना हैं।

(4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(5) यदि इच्छुक केता एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा इसे उक्त परिषद द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्ति के निस्तारण संबंधी विनियम–1980 (यथा संशोधित जनवरी 1993 पुनः संशोधित मार्च 2016)अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे हैः–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल **व्यवसायिक प्रयोजन** के लिए किया जाएगा।

क्रमशः 3 पर

Abhishek Agrawal
Sumit Bansal
केता

विक्रेता

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी,जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (**संख्या – 12-A/CP-09**) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 17% (सत्रह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही करेगा और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या– **12-A/CP-09** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

(10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

(11) व्यवसायिक भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्ते जो समय–समय पर लागू हो, मान्य होगें।

Ashish Agarwal Sumit Bansal

केता

विक्रेता

कमशः 4. पर

जिसके साक्ष्य में श्री दिलीप कुमार शुक्ला, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और **मैसर्स सिमटेक पार्टनर श्री सुमित बंसल पुत्र स्व0 श्री विजय प्रकाश बंसल, श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल आशयिता संख्या–12-A/CP-09 व्यवसायिक भूखण्ड** के केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

नोटः–(2) व्यवसायिक भूखण्ड सं० 12-A/CP-09 का कुल मूल्य रू० 1,90,96,265.00 है जिसपर रू० 41,59,551.00 ब्याज सहित कुल रू० 2,32,55,816.00 फर्म द्वारा परिषद में भुगतान किया गया है।

वृन्दावन योजना संख्या–3 लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं० **12-A/CP-09**, एवं कुल क्षेत्रफल 866.83 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रू० 25000.00 एवं 30.00 मीटर चौड़ी सड़क एवं 12.00 मीटर चौड़ी सड़क पर कार्नर होने की दशा मे 10% अतिरिक्त रू० 2500.00 कुल रू० 27500.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ – रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 866.83 मीटर की मालियत रू० 2,38,37,825.00 है। परिषद द्वारा ब्याज सहित आवंटित मूल्य रू० 2,32,55,816.00 है। जिलाधिकारी द्वारा मालियत रू० 2,38,37,825.00 जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 1668660.00 होता है।

नोटः–(1) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या– 772/स्टाम्प लिपिक–2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7% की दर से ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP03477712079631P दिनांक 26/07/2017 द्वारा रू० 3,32,000.00 के प्रमाण पत्र एवं रू० 13,36,800.00 के स्टैम्प चालान शुल्क कुल स्टाम्प रू० 16,68,660.00 पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

Ashish Agarwal Sumit Bansal

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 5. पर

अनुसूची "क"

विकय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी **12-A/CP-09** व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 866.83 वर्ग मीटर

सीमाएँ:–

उत्तर– 12.00 मी० चौड़ी सड़क	उत्तर– 31.20 मीटर
दक्षिण– व्यवसायिक भूखण्ड सं० **12-A/CP-08**	दक्षिण– 31.50 मीटर
पूर्व– 30.00 मी० चौड़ी सड़क	पूर्व– 27.80 मीटर
पश्चिम– 9.00 मी० चौड़ी सड़क	पश्चिम– 27.50 मीटर

1–साक्षी:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता

विकेता के लिए और उसकी ओर से

2–साक्षी:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता

सम्पत्ति प्रबन्धक

(कृते अविसि आयुक्त)

ी:1–हस्ताक्षर Abhishek
2–नाम Abhishek Gautam
3–पता LD-14 Sec-F LDA COLONY KNP ROAD LKO

केता के लिए और उसकी ओर से

Sumit B. / Ashish Agarwal

1–हस्ताक्षर

2–साक्षी:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता

2–नाम मैसर्स सिमटेक डेवलपर्स निवासी–5/6ए, लीला मेन्शन नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ पार्टनर श्री सुमित बंसल पुत्र स्व0 श्री विजय प्रकाश बंसल पता–एम0जी0–21, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल पता–बी–45ए, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ, श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल पता–बी–45ए, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ

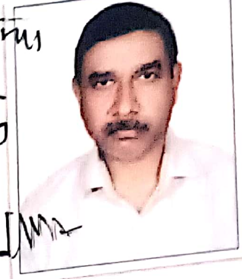

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

CONSTRUCTION DIVISION 13
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
VRINDAVAN YOJNA, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

SITE PLAN OF PLOT NO. 12-A/CP-9

VRINDAVAN YOJNA No.- 3

ALLOTTED TO SRI/SMT- ....

PLOT SIZE $\frac{27.80+27.50}{2}$ M X $\frac{31.20+31.50}{2}$ M

PLOT AREA .. 866.83 SQM

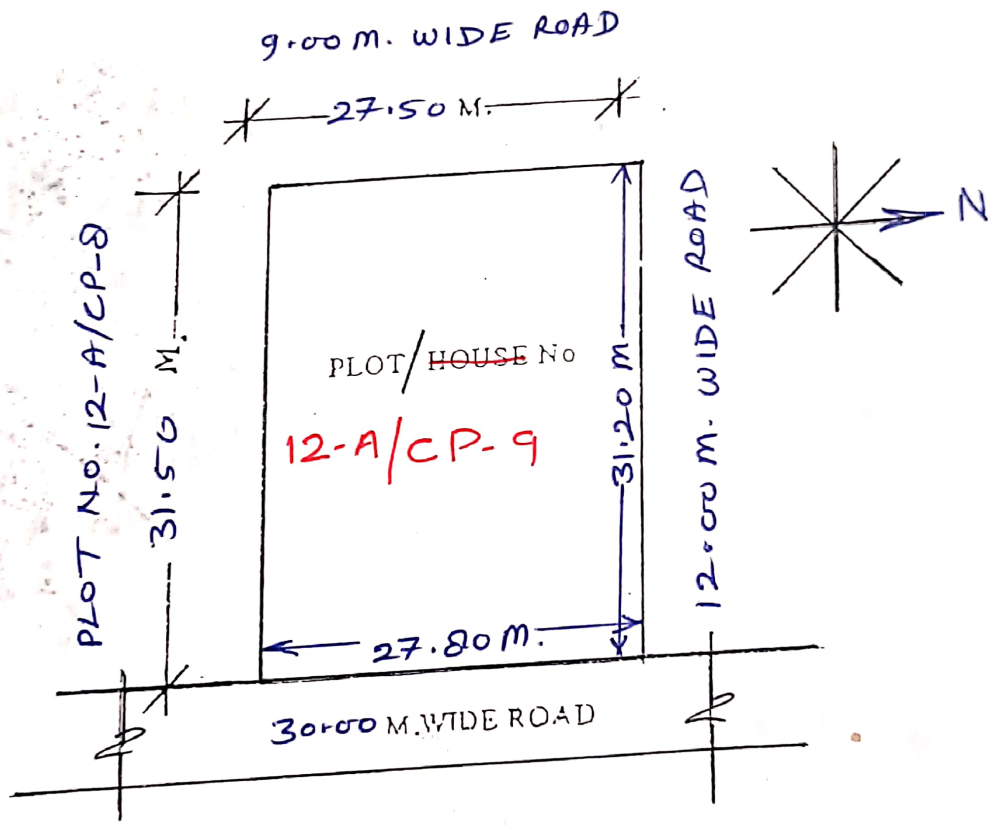

D/MAN J.E. A.E. E.M.O. ALLOTTEE

संपत्ति प्रबंध अधिकारी/उपायुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवंटी

आज दिनांक **26/09/2017** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **22821**

पृष्ठ सं. **121** से **138** पर कमांक **14345**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
26/9/2017

Scanned with OKEN Scanner

2 14349/17

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03477730577825P
Certificate Issued Date	:	26-Jul-2017 12:45 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0104171424219988P
Purchased by	:	SYMTECH DEVELOPERS
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT NO.12-A/C.P-8, AREA-648.82 SQMTR. AT VRINDAVAN YOJNA NO.3, RAE BARELI ROAD, LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
Second Party	:	SYMTECH DEVELOPERS
Stamp Duty Paid By	:	SYMTECH DEVELOPERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,72,000 (Three Lakh Seventy Two Thousand only)

LOCKED SAROJ LUCKNOW

Please write or type below this line

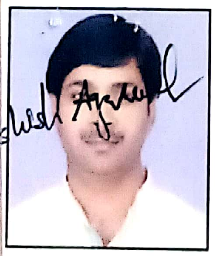

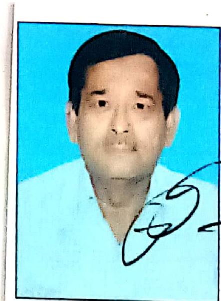

विक्रेता

UP 0001843259

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 23 माह 09 वर्ष 017 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और **मैसर्स सिमटेक डेवलपर्स पता– 5/6A. लीला मेन्शन, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा श्री प्रदीप अगवाल, श्री आशीष अग्रवाल एवं श्री सुमित बंसल** जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी,विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :–

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या–3 नामक मुहल्ले के सेक्टर– **12-A** में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या– **12-A/CP-08** का व्यय किया है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० **1,25,38,447.00 (रू० एक करोड़ पच्चीस लाख अड़तीस हजार चार सौ सैतालीस मात्र)** जिसका आधा रू० **62,69,223..50 (रू० बासठ लाख उन्हत्तर हजार दो सौ तेईस एवं पैसे पचास मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति **(संख्या– 12-A/CP-08)** को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है।

अतएव अब रू० **1,25,38,447.00 (रू० एक करोड़ पच्चीस लाख अड़तीस हजार चार सौ सैतालीस मात्र)** की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना **(सम्पत्ति सं० 12-A/CP-08)** जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:–

कमशः 2 पर

Ashish Agarwal
Sumit Bansal

केता

विक्रेता

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया जाना हैं।

(4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(5) यदि इच्छुक केता एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा इसे उक्त परिषद द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्ति के निस्तारण संबंधी विनियम–1980 (यथा संशोधित जनवरी 1993 पुनः संशोधित मार्च 2016)अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे हैः–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल **व्यवसायिक प्रयोजन** के लिए किया जाएगा।

Ashish Agarwal
Sumit Bansal

क्रेता

विक्रेता

कमशः 3 पर

Scanned with OKEN Scanner

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी,जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (**संख्या – 12-A/CP-08**) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 17% (सत्रह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही करेगा और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या– **12-A/CP-08** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

(10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

(11) व्यवसायिक भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्ते जो समय–समय पर लागू हो, मान्य होगें।

Agarwal Ashish Agarwal Sunil Bansal

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 4. पर

Scanned with OKEN Scanner

जिसके साक्ष्य में **श्री दिलीप कुमार शुक्ला, सम्पत्ति प्रबन्धक** ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और **मै० सिमटेक डेवलपर्स द्वारा श्री प्रदीप अगवाल, श्री आशीष अग्रवाल एवं श्री सुमित बंसल आशयिता संख्या–12-A/CP-08 व्यवसायिक भूखण्ड** के केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

नोटः–(2) व्यवसायिक भूखण्ड सं० 12-A/CP-08 का कुल मूल्य रू० 1,25,38,477.00 है जिस पर रू० 29,94,008.00 ब्याज सहित कुल रू० 1,55,32,485.00 फर्म द्वारा परिषद में भुगतान किया गया है।

वृन्दावन योजना संख्या–3 लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं० **12-A/CP-08**, एवं कुल क्षेत्रफल 648.82 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रू० 25000.00 एवं 30.00 मीटर चौड़ी सड़क एवं 12.00 मीटर चौड़ी सड़क पर कार्नर होने की दशा मे 10% अतिरिक्त रू० 2500.00 कुल रू० 27500.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ – रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 648.82 मीटर की मालियत रू० 1,78,28,800.00 है। परिषद द्वारा ब्याज सहित आवंटित मूल्य रू० 1,55,32,485.00 है। जिलाधिकारी द्वारा मालियत रू० 1,78,28,800.00 जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 12,09,800.00 होता है।

नोटः–(1) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या– 772/स्टाम्प लिपिक–2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7% की दर से ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP03477730577825P दिनांक 26/07/2017 द्वारा रू० 3,72,000.00 के प्रमाण पत्र एवं रू० 8,77,800.00 का सर्टीफिकेट न०–25AC 828379 कुल स्टाम्प रू० 12,49,800.00 पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

कमशः 5 पर

Ashish Agarwal
Sumit Bansal

क्रेता

विक्रेता

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची "क"
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी **12-A/CP-08** व्यवसायिक भूखण्ड   क्षेत्रफल   648.82 वर्ग मीटर

सीमाएँः–

उत्तर– व्यवसायिक भूखण्ड सं० **12-A/CP-09**	उत्तर– 31.50 मीटर
दक्षिण– व्यवसायिक भूखण्ड सं० **12-A/CP-07**	दक्षिण– 31.80 मीटर
पूर्व– 30.00 मी० चौड़ी सड़क	पूर्व– 20.50 मीटर
पश्चिम– 9.00 मी० चौड़ी सड़क	पश्चिम– 20.50 मीटर

1–साक्षीः1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता
के० एन० शुक्ला
कनिष्ठ सहायक

2–साक्षीः1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता
मोहन लाल
कनिष्ठ लेखाधिकारी

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

सम्पत्ति प्रबन्धक

(कृते आवास आयुक्त)

विक्रेता

क्रेताः1–हस्ताक्षर
2–नाम ABHISHEK GAUTAM
3–पता LD-14 Sec-F LDA COLONY KNP ROAD LUCKNOW

:1–हस्ताक्षर
2–नाम
3–पता

सुरेश कनौजिया
योजना सहायक

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

1–हस्ताक्षर

क्रेता

2–नाम मैसर्स सिमटेक डेवलपर्स
द्वारा श्री प्रदीप अगवाल, श्री आशीष अग्रवाल एवं श्री सुमित बंसल

3–पता 5/6A. लीला मेन्शन, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
CONSTRUCTION DIVISION-15
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
VRINDAVAN YOJNA, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW

SITE PLAN OF PLOT NO. 12-A/CP-8

VRINDAVAN YOJNA No.- 3

ALLOTTED TO SRI/SMT ....

PLOT SIZE 20.50 M X $\frac{31.50+31.80}{2}$ M

PLOT AREA -- 648.82 SQM

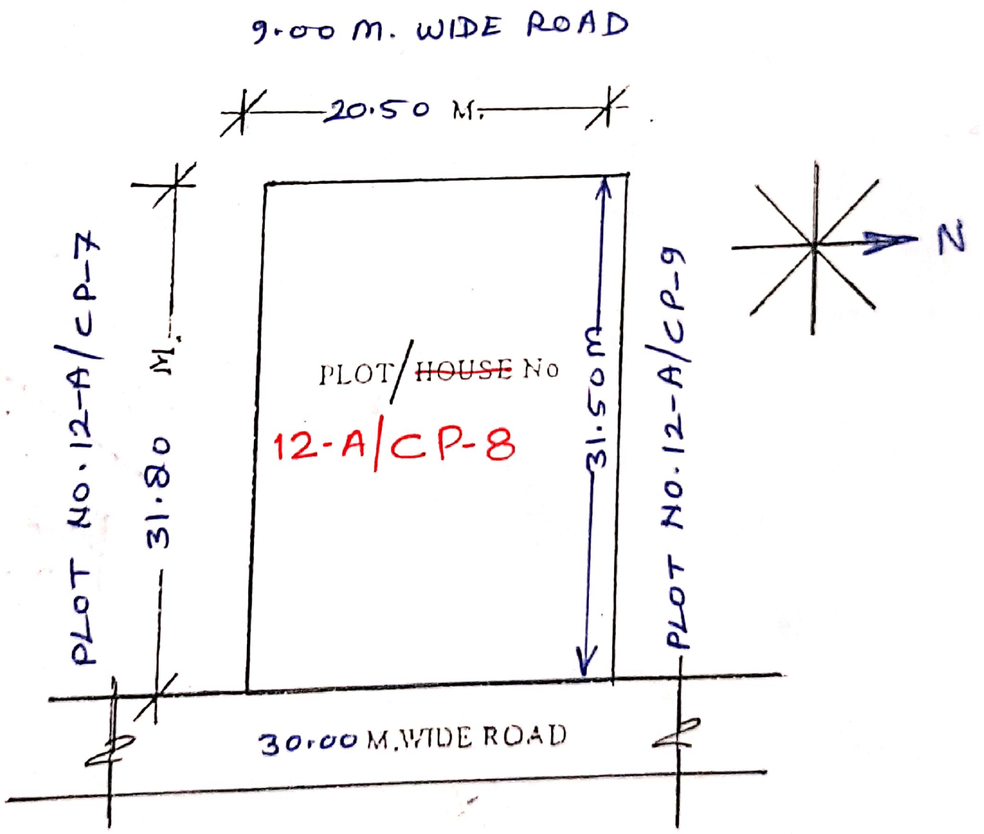

D/MAN	J.E.	A.E.	विक्रेता E.M.O.	क्रेता ALLOTTEE

आज दिनांक **26/09/2017** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **22821**

पृष्ठ सं. **213** से **230** पर कमांक **14349**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.वी.सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

26/9/2017

Scanned with OKEN Scanner